तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
28.10.2024	वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते आदेश प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत हुयी। वकील रैस्पो0 का कथन है कि अपीलाण्ट ने हस्तगत अपील में रामनिवास को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया, जबकि रामनिवास अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 55 के रूप में पक्षकार थे एवं ना ही अपीलाण्ट ने अपनी अपील में रामनिवास को क्यों पक्षकार नहीं बनाया बाबत् कोई कारण ही अंकित किये हैं। अतः अपील में आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण इसी स्तर पर नोन जोइन्डर ऑफ पार्टीज एवं मिस जोइन्डर ऑफ पार्टीज के दोष से ग्रसित होने के कारण इसी स्तर पर खारिज योग्य है। दूसरी आपत्ति यह है कि अपीलाण्ट ने हस्तगत अपील स्वयं को पांचिया का वारिस एवं पांचिया को सांवलिया का वारिस बताते हुये प्रस्तुत की गयी है। जबकि सांवलिया का पॉचिया नाम का कोई वारिस ही नहीं था, पुष्टि के लिये नामान्तकरण संख्या 28 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। इस प्रकार अपीलाण्ट को ना तो हस्तगत अपील एवं ना ही दावा प्रस्तुत करने का कोई अधिकार ही नहीं है। अंत में अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1994 पेज 168, 1985 पेज 694 का उद्धरण प्रस्तुत किया। वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये उक्त त्रुटि एक लिपकिय त्रुटि है, जिसे सुधारा जा सकता है। यदि कोई पक्षकार छूट गया है तो न्यायालय उसे पक्षकार बनाये जाने के आदेश दे सकती है। लिपकिय त्रुटि के आधार पर अपील को खारिज किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलाण्ट पांचिया के वारिस अथवा पांचिया सांवलिया का वारिस था या नहीं। उक्त तथ्य गुणावगुण पर तय होगा। अंत में प्रारम्भिक आपत्ति खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रामनिवास अ प्रतिवादी संख्या 55 के रूप में पक्षकार थे। परन्तु अपीलाण्ट ने अपनी अपील में रामनिवास को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है एवं ना ही पक्षकार नहीं बनाये जाने बाबत् कोई कारण ही अंकित किये हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 9 के अनुसार अपील में आवश्यक पक्षो को सम्मिलित करना आवश्यक है, अन्यथा अपील पर विचार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा अपील में आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाये जाने के कारण, अपील निश्चित तौर पर Mis joinder of necessary Parties के दोष से ग्रसित होने के	

भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी (राज.)

कारण इसी स्तर पर खारिज योग्य रहती है।

अतः आदेश है कि अधिवक्ता रैस्पो0 का प्राथमिक एतराज स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट Mis Joinder of necessary Parties के दोष से ग्रसित होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 28.10.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)